

प्रेषक,
के०के० सिन्हा,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
जिलाधिकारी,
बरेली।

राजस्व अनुभाग-१०

लखनऊ : दिनांक २८ जुलाई, २०११

विषय : वित्तीय वर्ष २०११-१२ में नावों के किराये एवं भाड़े के भुगतान हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके अर्द्धशा०पत्र संख्या-१५०५/मु०रा० ले०-दौ०आ० (२०११-१२), दिनांक २२ जुलाई, २०११ के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद में बाढ़ के दौरान प्रभावितों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने हेतु नावों के किराये एवं नाविकों के पारिश्रमिक के भुगतान हेतु रू०-१,७७,८३०/- (रुपये एक लाख सत्तर हजार आठ सौ तीस मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

२. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष २०११-१२ के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-५१ के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "२२४५-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-०५-आपदा राहत निधि-८००-अन्य व्यय-०३-आपदा राहत निधि से व्यय-४२-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

३. बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की धनराशि शासनादेश संख्या-३२५३/१-१०- २००८-१२(७३)/२००८, दिनांक २२ सितम्बर, २०१० में निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय किया जायेगा। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। अग्रेतर यह सुनिश्चित किया जाय कि आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय केवल दैवी आपदाओं-अग्निकाण्ड, भूस्खलन, बादल फटने, हिम स्खलन, चक्रवात, सूखा, भूकम्प, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट आक्रमण तथा सुनामी से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने के निमित्त व्यय की जाय। सामान्य दुर्घटनाओं-सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, दंगा फसाद, विद्युत आदि के कारण घटनाओं के लिए इस धनराशि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

४. उक्त धनराशि का व्यय शासनादेश दिनांक ३१ जुलाई, २००७ एवं शासनादेश दिनांक २२ सितम्बर, २०१० के साथ संलग्न भारत सरकार की गाइड लाइन्स में निर्धारित एवं अर्ह मानकों मर्दों के अनुसार ही किया जायेगा।

5. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही दैनिक रिपोर्ट भी राहत आयुक्त की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उन्हें दिनांक 31 मार्च, 2011 से पूर्व शासन को समर्पित कर दिया जाय।
6. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।
7. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(के०के० सिन्हा)

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या : ११११। (1)/1-10-2011-रा0-10

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2-मण्डलायुक्त बरेली।
- 3-आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4-वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसे राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।
- ✓ 5-वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त।
- 6-कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी बरेली।
- 7-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 8-समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11 राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 9-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(के०के० सिन्हा)

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।